




भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

 सर्व शिक्षा अभियान <small>सब पढ़े सब बढ़े</small>		निदेशक का कार्यालय बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र Office of the Director, Bihar Geo-spatial Data Centre सातवीं मंजिल (ब्लॉक 'ए', 'एफ' एवं 'जी') कर्पूरी ठाकुर सदन, केन्द्रीय कार्यालय परिसर 7 th Floor (Block 'A', 'F' and 'G') Karpuri Thakur Sadan, Kendriya Karyalaya Parisar आशियाना-दीघा रोड, पटना-800025 Ashiyana-Digha Road, Patna-800025
दूरभाष/ Telephone : 0612-2565756 फैक्स/Fax : 0612-2565265 E-mail : bihar.gdc.soi@gov.in		
सं०/No. Acc. 1167 /18-A-11-R		दिनांक/dated 31/07/2019

कार्यालय आदेश संख्या सं/37-जी-8 दिनांक 31 /07/2019

महासर्वेक्षक का कार्यालय के पत्रांक 4301/1117-पेंशन नियम दिनांक 19/07/2019 के निर्देशानुसार दिनांक **23/08/2019 को प्रातः 11:00 बजे** बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, पटना के सम्मेलन कक्ष में पेंशन अदालत का आयोजन होना सुनिश्चित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पटना केन्द्र से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से अनुरोध है कि जिनको पेंशन से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो वे इस पेंशन अदालत में पेंशन भुगतान आदेश, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक खाता विवरण सहित उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उक्त बैठक में उपस्थित होंगे:-

1	श्री मृत्युंजय कुमार, अधिकारी सर्वेक्षक सह डी.डी.ओ.	अध्यक्ष
2	प्रतिनिधि(क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता)	सदस्य
3	श्री वी. पी. सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक	सदस्य
4	श्री आर. खण्डेई, अधिकारी सर्वेक्षक	सदस्य
5	श्री रामाश्रय दास, सहायक	सदस्य
6	श्री राम नन्दन प्रसाद, सहायक	सदस्य
7	श्री अभिमन्यु सिंह, सहायक	सदस्य
8	मो. सरवर इमाम, प्रवर श्रेणी लिपिक	सदस्य


 (ताहिर मुस्तफा) कर्नल
 निदेशक
 बिहार जी.डी.सी., पटना

वितरण:-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को उनके पत्र सं. 4301/1117-पेंशन नियम दिनांक 19/07/2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ । [E-Mail]
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ । [E-Mail]
3. प्रभारी, विभागीय वेबसाईट, भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून को ई-मेल से इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इस पत्र को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वेबसाईट पर दर्शाने की कृपा करें । [E-Mail]
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता से अनुरोध है कि उक्त अदालत के बैठक में भाग लेने हेतु आप स्वयं या अपना प्रतिनिधि भेजने की कृपा करें । [E-Mail]
5. सर्व श्री मृत्युंजय कुमार, अधिकारी सर्वेक्षक सह डी.डी.ओ./वी.पी. सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक/आर. खण्डेई, अधिकारी सर्वेक्षक/रामाश्रय दास, सहायक/राम नन्दन प्रसाद, सहायक/अभिमन्यु सिंह, सहायक/मो. सरवर इमाम, प्रवर श्रेणी लिपिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. सूचना पट्ट ।
7. फाईल 37-जी-8 ।